बिहार विधान
मंडलीय कार्य
अत्यावश्यक

पत्र संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(प्रश्न)03–01/2022–............../

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–...............2025

विषय : सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 210वें सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् का 210वाँ सत्र **दिनांक–21.07.2025** से आहूत है। बिहार विधान सभा/परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में अंकित प्रावधानों के आलोक में प्रश्नों के उत्तर के लिये आवंटित तिथि से क्रमशः पाँच/तीन दिन पूर्व संबंधित विभाग से लिखित उत्तर बिहार विधान सभा/परिषद् सचिवालय को प्राप्त हो जाना चाहिये ताकि ससमय उसे माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सके।

अतएव सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 210वें सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर की प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय को निर्धारित तिथि से **कम से कम पाँच दिन पूर्व** तथा विधान परिषद् सचिवालय को **तीन दिन पूर्व** ऑन लाईन/ऑफ लाईन के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। साथ ही संलग्न प्रपत्र में आसन्न सत्र के प्रश्नों, निवेदन, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, याचिका एवं गैर सरकारी संकल्पों से संबंधित **दैनिक** समेकित प्रतिवेदन भी सत्रावधि में प्रतिदिन **अपराह्न 4.00 बजे तक** अनिवार्य रूप से ऑन लाईन/ऑफ लाईन के माध्यम से संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव।

अनु0–यथोक्त।

⇨

July_2025_Assembly commence & Prorogue.docx

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(प्रश्न)03–01 / 2022–........ / पटना, दिनांक–...................2025

प्रतिलिपि–प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा एवं सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(प्रश्न)03–01 / 2022–569 / पटना, दिनांक–04.07.2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.7.2025

सरकार के अपर सचिव।

July_2025_Assembly commence & Prorogue.docx